





मेरठ महायोजना (प्रारूप) 2031 पर
मेरठ सिटीजन फोरम
द्वारा आपत्तियाँ एवं सुझाव
12 JULY 2022


महायोजना (प्रारूप) 2031




आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने की तिथि	01.06.22 से 30.06.22
केवल महायोजना मानचित्र (वेबसाइट पर)	बिना हस्ताक्षर
महायोजना मानचित्र हस्ताक्षरित	
अंग्रेजी प्रतिवेदन	09.06.22
हिन्दी प्रतिवेदन	26.06.22
आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने की तिथि	15.07.22 तक बढ़ाई गई
हिन्दी / अंग्रेजी / मानचित्र में अत्याधिक	आपत्ति / सुझाव देना सम्भव नहीं।
त्रुटियां एक दूसरे से मेल नहीं खाते	

मेरठ महायोजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया। विशेषकर नये सम्मलित किए गये क्षेत्रों में।



-
- ✓ महायोजना मानचित्र पर विकास क्षेत्र के कुछ ग्राम आंशिक दर्शाये गये हैं जिन्हें पूरा होना चाहिए।
 - ✓ रूडकी मार्ग पर एनएच 334 एवं 709ए में कुछ मार्ग विकास क्षेत्र की सीमा में नहीं है, जो अनाधिकृत को बढ़ावा देगा।
 - ✓ शामली व बडौत के बची गंगनहर तक की भूमि तथा मेरठ के उत्तर में मोहिउददीन ग्राम के साथ गंगनहर तक की भूमि विकास क्षेत्र में सम्मिलित होनी चाहिए।













-
- ✓ महायोजना मानचित्र एवं वर्तमान भू उपयोग में कई स्थानों पर अन्तर, जो ठीक होना चाहिए। सरधना क्षेत्र के उत्तर में आबादी। शामली मार्ग पर अनडिफाइन्ड क्षेत्र। शहर के दक्षिण में औद्योगिक इकाई/आबादी। रूडकी/मवाना मार्ग बहुत सी औद्योगिक/आबादी क्षेत्र। मोदी रबर फैक्ट्री का आकार। लोहियानगर में स्थित सब्जी मण्डी का आकार। प्रस्तावित हवाई पट्टी का आकार।
 - ✓ वर्तमान सरधना—दौराला—लावड—मवाना मार्ग को प्रस्तावित दर्शाया।
 - ✓ छोटा मवाना से मवाना जाने वाले वर्तमान मार्ग को प्रस्तावित दर्शाया।












- ✓ दौराला की वर्तमान आबादी को दर्शाया नहीं है।
- ✓ दौराला शुगर मिल के पास बहुत बड़ा भारी उद्योग क्षेत्र प्रस्तावित है। जिसकी पहुँच मार्ग ठीक नहीं है। अतः प्रस्ताव उचित नहीं है। इस क्षेत्र को मेरठ नगर के उत्तर में तथा लावड ग्राम के आसपास प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
- ✓ दौराला क्षेत्र की महायोजना में 360 हेक्टेयर में डबलपमेंट राइट्स जोन प्रस्तावित है। जिसके सभी भू उपयोग अनुमन्य है। अतः उचित प्रतीत होता है कि, इसका विस्तृत प्लान महायोजना में ही प्रकाशित होना चाहिए।



-
- ✓ हापुड मार्ग पर प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर मार्ग के दोनो ओर दर्शाया है। यातायात समस्याए उत्पन्न होंगी।
 - ✓ हापुड रोड पर ग्राम रूकमुददीनपुर के पास बहुत बडा कॉमर्शियल क्षेत्र प्रस्तावित है जो खरखौदा के पास जनसंख्या के आधार प्रस्तावित होना चाहिए।
 - ✓ हापुड रोड पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे में जंक्शन पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, उक्त क्षेत्र को हापुड रोड के औद्योगिक क्षेत्र की निरन्तरता में प्रस्तावित करना उचित होगा।





-
- ✓ महायोजना में मेरठ–दौराला–पानीपत रेलवे मार्ग नहीं दर्शाया गया है।
 - ✓ बैंकट हॉल हेतु प्रत्येक मार्ग पर अलग से भू उपयोग नीति अन्तर्गत प्रस्तावित किए जाए।
 - ✓ महायोजना में 102 अनाधिकृत कालोनियो की लिस्ट ही है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिस आधार पर अनाधिकृत कालोनी का नियमित की गई है उसी आधार पर एन0सी0आर0 क्षेत्र में होने के कारण नियमित किया जाना चाहिए।



18.2° 13.2°
प्रदूषण तापमान
सूर्य अस्त (अब) 6.03
उदय (कल) 7.04

मेरठ जागरण

www.jagran.com

सर्वे पूरा, एस्टीमेट तैयार, पानीपत-मेरठ के बीच दौड़ेगी रेल


अखिलेश झा • पानीपत

आठ साल बाद पानीपत मेरठ लाइन का कार्य परवान चढ़ने लगा है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद नार्दन रेलवे के वरिष्ठ अभियंता एस्टीमेट फाइनल करने में जुटे हैं। ब्रॉड गेज लाइन बिछाने के बाद दो प्रांतों की दूरी कम हो जाएगी। हरियाणा और वृषी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पानीपत-मेरठ के बीच रेल लाइन बिछाने की घोषणा पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 2011 के रेल बजट में की थी। 190 रेल लाइनों में यह भी शामिल था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू करने का प्रस्ताव बनाया गया। तकनीकी अड़चनों के चलते तीन साल तक यह फइलों में दबी रही। केंद्र में सत्ता बदलने के बाद भाजपा ने औद्योगिक नगरी पानीपत और मेरठ को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए नए सिरे से पहल की। सर्वे कार्य फाइनल होने के बाद 92 किमी लंबी ब्रॉड गेज लाइन का एस्टीमेट बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पानीपत और मेरठ के बीच 14 स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है।

2011 के रेल बजट में लाइन बिछाने का स्थापना प्रस्ताव

92 किलोमीटर लंबी होगी रेल लाइन

14 स्टेशन बनेंगे इस ब्रॉड गेज ट्रैक पर



इन स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेन

पानीपत-दीवाना-शिमला गुजरान-वापीली-तीतरवाड़ा-कांदला-एलाम-गढ़ीराजपुर-जुलाना-बुढ़ाना-मुल्हेड़ा-बरदाना-देराला और मेरठ।

2016 के बजट में राशि आवंटित

नई रेल लाइन के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में राशि आवंटित की गई थी। पानीपत से मेरठ के बीच नई रेल लाइन का सर्वे कराने के लिए एक करोड़ की राशि उप मुख्य अभियंता के खाते में ट्रांसफर किया गया था।



दो सांसदों के प्रतिष्ठा का सवाल

पानीपत मेरठ लाइन दो सांसदों के प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। मुजफ्फरनगर से सांसद डॉ. संजीव बालियान इसे वाया सरधाना कुशवाली गांव के जंगल और बुढ़ाना से रास्ते निकलवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ, बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बागपत से होकर यह लाइन बिखाना चाहते हैं। सांसद ने दावा किया है कि बागपत जिले में टौकरी और दाहा दो स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि, एस्टीमेट में जो रूट फाइनल किया गया है उनमें इन दोनों स्टेशनों का नाम फिलहाल शामिल नहीं है। बागपत क्षेत्र के 25 गांवों के ग्रामीणों ने बीते 20 दिसंबर 2018 को रेलमंत्री से इस बारे में मुलाकात भी की थी।

व्यापारिक रिश्तों को मितेगी मजबूती

पानीपत में हैंडलूम और कंबल का कारोबार है। मेरठ भी वस्त्र और खेल के सामानों के लिए मशहूर है। लाइन बिछ जाने के बाद दोनों शहरों के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। उद्योगपतियों की मानें तो पानीपत से प्रतिदिन 5000 विक्टल माल मेरठ जाता है। ट्रैक पर मालगाड़ी दौड़ने से इसमें सहूलियत होगी।

पानीपत से मेरठ : किफायती होगा सफर

सड़क मार्ग से कुल दूरी : लगभग 100 किलोमीटर



वस का किराया : 110 रुपये





पैसेंजर ट्रेन का किराया : 30 रुपये




मेल एक्सप्रेस का किराया : 100-110 रुपये


-
- ✓ मुख्य मार्ग मवाना, छोटा मवाना के पास दोनो ओर नगरीकरण हेतु प्रस्ताव दिए गये है जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात में असुविधा होगी, उन्हे हटाया जाए।
 - ✓ महायोजना में गढरोड पर स्थित ग्राम मुरलीपुर के पास 100 मीटर बाहय रिंग रोड के साथ एक और मार्ग किनानगर से होते हुए सी0जी0आर0आई0 जोन पर समाप्त होता है। इनमें से एक बाहय रिंग रोड को समाप्त कर पहली रिंग रोड को ही आगे बढ़ाया जाए।
 - ✓ मेरठ एक्सप्रेसवे को मवाना, गढरोड से सीधे मिलाया जाना चाहिए।







-
- ✓ महायोजना प्रारूप मानचित्र में लीजेन्ड में दर्शाये ऐतिहासिक भवन मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं जैसे सरधना चर्च, गगोल कुण्ड आदि।
 - ✓ राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, एक्सप्रेसवे ग्रीन वर्ज की चौड़ाई महायोजना मानचित्र पर आंकित नहीं है। ग्रीन वर्ज को प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के बाहर से प्रस्तावित होना चाहिए।
 - ✓ मेरठ में हाई कोर्ट की बेन्च की स्थापना हेतु भूमि आरक्षित किया जाना चाहिए।




BOARD OF MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY


1	Shri Sumendra Singh (Commissioner Meerut Division, Meerut)	Chairman, MDA
2	Shri Mitul Chaudhary (Vice Chairman, Meerut Development Authority)	Vice Chairman, MDA
3	Shri Deepak Meena (District Magistrate, Meerut)	Member, MDA
4	Shri Prasad Kumar Additional Commissioner, Nagar Nigam, Meerut (Representative Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Meerut)	Member, MDA
5	Shri Atul Kumar Singh Additional Director, Treasury and Pension, Meerut (Representative: special secretary, Department of Finance, Govt)	Member, MDA
6	Shri V.K. Kaushal Deputy Commissioner, Industries (Representative Additional Director Industries, Meerut Region, Meerut)	Member, MDA
7	Shri Suban Ashraf Siddiqi Additional District Magistrate, Land Acquisition (Special Guest Member, Meerut)	Member, MDA
8	Shri Sanjay Kumar Ginkam General Manager, Yamuna Pollution Control Unit (Bhar Prasth, Jaj Nagar Urban, Ghazabad)	Member, MDA
9	Shri Krishna Mishra Associate Planner, Divisional Planning Office, Meerut (Representative: Chief Town and Country Planning Department, UP)	Member, MDA
10	Shri S.C. Gaur Chief Coordinator Planner, NCR Planning Cell, Ghazabad (Representative Commissioner NCR Planning Cell, UP)	Member, MDA
11	Shri Nain Singh Tomar (Nominated Member from Government)	Member, MDA
12	Shri Varsha Kaushik (Nominated Member from Government)	Member, MDA
13	Shri Charan Singh Usadi (Nominated Member from Government)	Member, MDA
14	Shri Chandrapal Tiwari Secretary, MDA	Member/ Convener, MDF



Vicky Kumar Singh (Town Planner, MDA) Ishiyas Ahmed (Chief Town Planner, MDA) Chandrapal Tiwari (Secretary, MDA)


Provision for High Court Bench



-
- ✓ हापुड रोड पर प्राधिकरण द्वारा बस स्टैण्ड हेतु लोहियानगर योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटित/महायोजना 2031 में उसके सामने बम्बा बाईपास पर बहुत अधिक बडा क्षेत्र प्रस्तावित किया है। कृपया आवश्यकतानुसार पुर्नविचार करना चाहे।
 - ✓ शताब्दीनगर के पीछे बम्बा बाईपास पर/रूडकी मार्ग पर पल्लवपुरम योजना के पीछे क्षेत्र को खुले स्थान/स्टेडियम दर्शाया है। उसे भावी विकास की सम्भावनाओ को देखते हुए आवसीय प्रस्तावित करना उचित प्रतीत होता है।
 - ✓ महायोजना में डम्पिंग ग्राउन्ड को प्रत्येक मार्ग पर अलग मानचित्र पर दर्शाना उचित होगा।







✓ डेयरियों हेतु समग्र योजना बनाकर प्रत्येक मार्ग पर स्थापित किए जाए।

Printed from

THE TIMES OF INDIA

Meerut cattle owners left in the lurch as Masterplan 2021 end approaches

Dec 2, 2020, 04.50 AM IST

Meerut: Urban India's unique growth pangs have come to the fore in the city. Sandwiched between court orders and uncaring civic authorities, 900 livestock owners with cattle sheds inside city limits bemoan that they latter have refused land grant for a proposed cattle colony citing they don't have space.

As pressure to leave municipal limits rises, cattle owners complain they don't know where to take their 28,000 milch cows and buffaloes. "With no alternative in sight, should we sell them to slaughterhouses?" they lament.

Meerut's Masterplan 2021, made way back in 2003, had provisions for cattle colonies. But with a year before it expires, not a single colony has been developed on ground.

Need for MP2031 to provide space for Dairies in multiple regional roads/areas in Agri/Green Zones

-
- ✓ महायोजना में दिए गये जोनिंग रेगुलेशन में भी बहुत अधिक त्रुटियाँ हैं। अधिकतर अनुमन्य क्रियाओं में प्रभाव शुल्क का प्राविधान किया गया है। जो आज के परिपेक्ष में उचित नहीं है। उ०प्र० में प्रभाव शुल्क का प्राविधान 2002 में किया गया था। चूंकि क्षेत्र एन०सी०आर० में पडता है। अतः इसे डी०डी०ए० / नोएडा के आधार पर संशोधित किया जाए।

 - ✓ जोनिंग रेगुलेशन में अत्याधिक त्रुटियाँ हैं—
 - नगरीय कृषि क्षेत्र को जोनिंग रेगुलेशन में नहीं दर्शाया गया है।
 - भू उपयोग जोन का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण तालिका में निर्मित आवासीय क्षेत्र नहीं दर्शाया गया है।
 - हाईवे फैसिलिटी जोन्स भी जोनिंग रेगुलेशन में नहीं प्रभाव शुल्क तालिका दर्शाया है।

-
- ✓ मेरठ नगर में प्रस्तावित भू उपयोग तालिका संख्या 15.6 में कार्याल, हाई फ़ैसिलिटी एवं कई भू उपयोग दर्शित नहीं है।
 - ✓ महायोजना प्लान का चरणबद्ध विकास एवं उसके आर्थिक पहलू पर प्रस्ताव नहीं है।



Table 15.6 Proposed Landuse 2031 for Meerut City

Sr. No	Land use category	% as per norms*	% considered	Total Area requirements (Ha)- 2031	Proposed Area as per MP 2021 (ha)	%age	Existing Land use 2020 NRSC (within MP Boundary)	Vacant Area Available within MP 2021 (ha)	Additional Area Required (ha)- 2031
1	Residential	30-35	45.00	10,523.94	9,040.74	45.95	5,324.46	3,716.28	1,483.20
2	Commercial	4-6	2.50	584.66	399.74	2.03	181.34	218.41	184.92
3	Industrial	8-10	10.00	2,338.65	1,802.46	9.16	773.22	1,029.24	536.19
4	Public and semi public	10-12	10.00	2,338.65	2,582.59	13.13	1,275.36	1,307.23	-243.94**
5	Parks and open spaces	15-20	19.00	4,443.44	3,320.72	16.88	144.46	3,176.25	1,122.72
6	Traffic and transportation	18-20	10.00	2,338.65	2,144.23	10.90	87.93	2,056.29	194.43
7	Recreational and Others	Balance	3.50	818.53	383.87	1.95	-	383.87	434.66
Total urbanizable area		100	100.00	23,386.53	19,674.35	100.00	7,786.77	11,887.57	3,712.18

Source: Consultant's Estimates

- ✓ मेरठ एन0सी0आर0 के अन्तर्गत पडता है, और मेरठ एन0सी0आर0 क्षेत्र का सबसे बडा नगर है। अतः उचित होगा कि इसके समस्त बिल्डिंग बाइलॉज, जोनिंग रेगुलेशन डी0डी0ए0 एव नोएडा के आधार पर प्रस्तावित हो।
- ✓ मेरठ महायोजना में मेरठ नगर की जनसंख्या 2031 हेतु 2117941 प्रोजेक्ट की गई है। जबकि एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना में मेरठ नगर की जनसंख्या 2031 हेतु 2612628 दर्शायी है। इसे ठीक किया जाए।
- ✓ एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना प्रारूप 2041 में इस क्षेत्र हेतु बहुत सारे प्रस्ताव दिए गये है। मेरठ महायोजना को अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि, इस बारे में महायोजना बनाते समय एन0सी0आर0 क्षेत्रीय योजना प्रारूप 2041 का अध्ययन ही नहीं किया गया।



Table 2.5: Projected Population of Metro Centres

Metro centres	Population (Census 2011)	Projected Population				
		2021	2026	2031	2036	2041
1. NCT Delhi	16787941	20463515	22633050	25058682	27770711	30803207
2. Gurugram	886519	2568260	1326975	4250000	1612748	9622526
3. Faridabad	1414050	2684729	2116604	3955407	2572428	6814332
4. Noida	637272	901544	1072304	1275407	1516981	1804310
5. Ghaziabad	1648643	2332323	2774085	3299521	3924478	4667808
6. Loni	516082	730097	868384	1032863	1228496	1461184
Meerut	1305429	1846781	2196577	2612628	3107482	3696066
8. Muzaffarnagar	392768	555646	660890	786068	934957	1112045
9. Greater Noida*	102054	Design population as 12 lakh				
10. YEIDA*	Design population as 20 lakh					
11. MBIR (Manesar Bawal IR)	Design population as 33.15 lakh					



* Govt. of UP (proposed)/NCRPB

15.1.1 Population projection, Density and Land demand

Projected Population	Year 2021	Year 2031
Meerut Municipal Corporation	16,68,540	21,17,941
Other Urban Centres within MDA	391,398	4,70,990
Neighboring villages	3,02,580	4,57,292
Total Population of the planning area	23,62,519	30,46,223

-
- ✓ माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 के वर्ष 2027 हेतु प्रदेश की जीडीपी एक ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा की है। महायोजना में Socio Economic Development पर जोर दिया है, परन्तु महायोजना में Unorganised sector हेतु जो कुल work force का 70 प्रतिशत है। उनके लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिए गये हैं।
 - ✓ महायोजना में साप्ताहिक बाजारों, तीन पहिया वाहन हेतु स्टैंड, पार्किंग स्थल, घरों में छोटी-छोटी कार्यरत इकाइयों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

- ✓ मेरठ महायोजना में जो नये क्षेत्र सरधना, बहसूमा, लावड, मवाना, हस्तिनापुर शामिल किये गये है। उसकी फीस उनके बिल्डिंग बाईलॉज, जोनिंग रेगुलेशन शिथिल रखते हुए अलग से प्रस्तावित होने चाहिए। ग्रामीण आबादी का विस्तार किस प्रकार होगा, के बारे में नीति निर्धारण होना चाहिए।
- ✓ नगर के अन्तर्गत महायोजना मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई जो रखा जाना सम्भव नहीं है। अतः उसे निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थल के अनुसार यथावत मानते हुए मानचित्र स्वीकृत किए जाए।
- ✓ महायोजना में निर्मित क्षेत्र को निर्मित आवसीय क्षेत्र दर्शाया है। यह उचित नहीं है क्योंकि समस्त क्षेत्र में मिश्रित क्रियाये है। महायोजना में बाजार क्षेत्र नहीं दर्शाया है। वर्तमान परिस्थिति में बाजार क्षेत्र में कॉमर्शियल भू प्रयोग की स्वीकृति हेतु कोई प्रभावी शुल्क देय नहीं होना चाहिए। हिन्दी रिपोर्ट में इस क्षेत्र हेतु जो बाइलॉज दिए है, वह व्यवहारिक नहीं है। अतः संशोधित किए जाए।

-
- ✓ शताब्दी नगर के पीछे की ओर तथा बिजली बंबा बाईपास मार्ग के दोनो ओर ग्राम मौहम्मपुर, गुम्मी, जुरानपुर तथा बजौट की भूमि जो महायोजना (प्रारूप) 2031 में पार्क एवं खुले स्थल/स्टेडियम के रूप में दर्शाया गया है। उसे वर्तमान में संपर्क मार्ग से जुड़े होने तथा प्रस्तावित दिल्ली तथा हापुड मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण भावी विकास की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते आवासीय भू उपयोग में रखा जाना उचित होता है।
 - ✓ रूडकी मार्ग स्थित पल्लवपुरम योजना को पीछे की ओर स्थित ग्राम मुर्करबपुर, पल्हैडा, मोहिउददीनपुर, ललसाना तथा उतदेपुर की भूमि जो वर्तमान महायोजना (प्रारूप) 2031 में पार्क तथा खुले स्थल/स्टेडियम भू उपयोग में दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में ललसाना संपर्क मार्ग स्थित होने तथा आस-पास कई स्वीकृत कालोनियों के विकसित होने तथा भविष्य में सुनियोजित आवासीय विस्तार की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय भू उपयोग में होना उचित प्रतीत होता है।

- ✓ मेरठ महायोजना (प्रारूप) 2031 में इतनी अधिक त्रुटियां हैं सबको लिख पाना सम्भव नहीं है इसके अतिरिक्त इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार भी नहीं किया गया है। विशेषकर सम्मलित भी किए गये नये क्षेत्रों में। यहाँ पर कहना अनुचित न होगा कि, इससे अच्छा होता कि, पुरानी महायोजना 2021 का ही समय 2031 तक बढ़ा दिया जाता। अतः सुझाव है कि, महायोजना को विस्तृत रूप से अध्ययन कर उसे ठीक कर पुनः जनता से आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया जाए, ताकि महायोजना को सही रूप से अन्तिम रूप दिया जा सके।

Thank You